न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म.प्र.)

93

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक/.....

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/0575

01– रामबहोर पिता स्व. रामायण प्रसाद निवासी ग्राम अजगरहा 27, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

02– प्रिन्स पाण्डेय पिता श्री शत्रुधन पाण्डेय निवासी ग्राम अजगरहा 27, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

01– पुष्पेन्द्र पिता जगमोहन सिंह निवासी ग्राम अजगरहा 26, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

.....अनावेदक

02– देवलाल पिता रामसखा निवासी ग्राम अजगरहा 26, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) मृतक –**अनौपचारिक पक्षकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 58/अ6अ/87–88 में पारित आदेश दिनांक 16.12.1988 एवं प्रकरण /29/अ74/88–89 में पारित आदेश दिनांक 09.03.1989

मान्यवर,

निगरानी का आधार निम्न है:–

01– यह कि उपरोक्त वर्णित आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर द्वारा विधि विधान के विपरीत एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

02– यह कि आदेश में सुमार भूमि खसरा नं. 138 रकवा 0.182हे0 एवं भूमि खसरा नं. 145 रकवा 0.870हे0 जुमला किता–2 एवं कुल रकवा 1.052हे0/2.60ए0 आवेदक के सह खाते एवं इन्हीं के निजी पूर्वज रामायण प्रसाद पाण्डेय द्वारा क्रय की गई भूमि है। इसमें

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/575

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	आवेदक के अभिभाषक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राहयता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 58 अ–6–अ/87–88 में पारित आदेश दिनांक 16–12–1988 के विरूद्व एंव प्रकरण कमांक 29 अ–74/88–89 में पारित आदेश दिनंक 9–3–1989 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के प्रारंभिक अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 16–12–1988 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत पारित किया गया है जो रिकार्ड दुरूस्ती के सम्बन्ध में है और यह आदेश अंतिम है जो अपील योग्य है । **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। 3/ तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ–74	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/575

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	/88–89 में आदेश दिनंक 9–3–1989 पारित किया गया है इस आदेश से **Grand father** व्दारा सैना में शहीद पुत्र के पुत्र **Grand son**को भूमि **Gift** की गई है एंव दान ग्रहीता के नावालिग होने से वालिग होने के उपरांत पटवारी को नामान्तरण करने के निर्देश है। यह भी अपील योग्य आदेश है। उपरोक्तानुसार दोनों ही प्रकरण अलग अलग मदों एंव अलग अलग धाराओं के होने से तथा आदेश दिनांक 16–12–1988 एंव आदेश दिनंक 9–3–1989 के विरूद्व राजस्व मण्डल में दिनांक 19–1–2018 को अर्थात लगभग 28–29 वर्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है जो अनुचित विलम्ब से एंव दो भिन्न भिन्न मदों के प्रकरणों में हुये आदेशों के विरूद्व होने से ग्राह्य योग्य एंव सुनवाई योग्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	